भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3104
19.03.2026 को उत्तर के लिए

बाघों की मृत्यु दर में वृद्धि

3104. श्रीमती सागरिका घोष :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2021 से 2025 के बीच भारत में बाघों की अधिकतर मौतें संरक्षित अभयारण्यों के बाहर हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2020 से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से जुड़े ऐसे मामले की वर्ष-वार संख्या क्या है;
(ग) इन घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट की गई इंसानों की मौत की वर्ष-वार संख्या क्या है;
(घ) विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहां संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों की मौतों की संख्या सबसे अधिक है, क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ परियोजना के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तथा (ख) बाघ अभयारण्यों में टाइगर परियोजना के सकारात्मक कार्यकलापों और प्रभावी कार्यान्वयन के कारण, देश में बाघों की आबादी बाघ अभयारण्यों में और उसके आसपास दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है। इसके फलस्वरुप, बाघ अभयारण्यों में और उसके बाहर बढ़ती बाघ आबादी अनुरूपता में बाघों की मृत्यु अधिक बताई गई है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाघ अभयारण्यों के बाहर हुई बाघों की मौतों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	प्राकृतिक	अप्राकृतिक/ शिकार	जांच के अधीन
2020	15	17	7
2021	14	24	28
2022	9	19	24
2023	28	31	40
2024	13	13	40
2025	4	2	84

(ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 तक मानव-बाघ संघर्ष के मुद्दों के कारण होने वाली मानव मौतों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	3	0
4	बिहार	1	4	9	1	2	4
5	छत्तीसगढ	0	0	0	3	0	1
6	झारखंड	0	0	0	0	0	0
7	कर्नाटक	0	1	1	8	2	0
8	केरल	2	0	0	2	0	3
9	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6	9
10	महाराष्ट्र	25	54	80	37	41	48
11	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
12	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
13	राजस्थान	0	0	0	0	0	3
14	तमिलनाडु	1	3	0	1	0	0
15	तेलंगाना	2	0	0	0	1	0
16	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10	6
17	उत्तराखंड	0	1	3	0	5	2
18	पश्चिम बंगाल	5	5	1	1	1	0
कुल		**51**	**81**	**108**	**88**	**71**	**76**

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित बाघ बाहुल्य वाले राज्यों में संघर्ष से निपटने के लिए तीन-तरफा रणनीति जारी की है जो इस प्रकार है:

(i) **सामग्री और रसद सहायता :** चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्रोजेक्ट टाइगर' के माध्यम से बाघ अभयारण्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्रोत क्षेत्र से बाहर विचरण करने वाले बाघों से निपटने के लिए बुनियादी अवसंरचना और सामग्री में क्षमता अर्जित कर सके। ये सहायताएं हर वर्ष वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से बाघ अभयारण्यों द्वारा मांगे जाते हैं जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अनिवार्य व्यापक बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) का भाग है। अन्य बातों के साथ-साथ अनुग्रह राशि और मुआवजे का भुगतान आम जनता को मानव-पशु संघर्ष के प्रति संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन करने और परामर्श देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान, मीडिया के विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सूचना का प्रसार, जानवरों

को अचेत करने वाले उपकरणों की खरीद, दवाएं, मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे कार्यक्रम आम तौर पर किए जाते हैं।

(ii) **पर्यावास सम्पन्न क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना** : बाघ अभयारण्य में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक व्यापक टीसीपी के माध्यम से पर्यावास सम्पन्न क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जाता है। यदि बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तर पर है, तो यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास माध्यम सीमित होना चाहिए ताकि बाघों सहित वन्यजीवों का अत्यधिक विस्थापन न हो जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो सके। इसके अलावा, बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर क्षेत्रों में, पर्यावास हस्तक्षेप प्रतिबंधित हैं ताकि वे मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों के मुकाबले इष्टतम हों और केवल अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों में विस्थापन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विवेकपूर्ण हों।

(iii) **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) :** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए निम्नलिखित तीन एसओपी जारी किए हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

i. मानव आबादी वाले क्षेत्रों में बाघों के भटकने से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए
ii. पशुओं पर बाघों के हमले से निपटने के लिए
iii. भू-भाग स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन के लिए।

तीन एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ बाघों को तितर-बितर करने का प्रबंधन करना, संघर्ष को कम करने के लिए पशुधन क्षति का प्रबंधन करना और साथ ही बाघों को स्रोत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है जहां बाघों का घनत्व कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो।

इसके अलावा बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार के लिए बाघ अभयारण्यों द्वारा आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन माध्यम किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास की चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रदान की जाती है।

(ड.) अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रणाली के 5वें चक्र से एकीकृत किए गए वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ-साथ राज्यों से मानव-वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघों के प्रबंधन के लिए एक परियोजना तैयार की है, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक निवारक और उपशमन रणनीति है। इस परियोजना के लिए, तकनीकी और वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय-काम्पा) के माध्यम से प्रदान की जाती है और इस परियोजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
